न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी:— प्रभाती लाल जाट आर.ए.एस.

अपील सं. 26 / 2015

अन्तर्गत:—

रणजीत पुत्र साहबराम जाति जाट सा. चक 15 एलएलडब्ल्यु बी तह0 हनुमानगढ।

अपीलान्ट

बनाम

1 साहबराम पुत्र ख्याली राम 2 कमलेश 3 संतोष पि0 जगदीश
जाति जाट सा. चक 15 एलएलडब्ल्यु बी तह0 हनुमानगढ।
4 स्टेट जरिये तहसीलदार(राजस्व) हनुमानगढ।

रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्ध इन्तकाल सं0 379 दिनांक 23.3.2015 बअदालत तहसीलदार हनुमानगढ ।

उपस्थित:— 1 श्री देवी लाल भाम्भू अभिभाषक अपीलांट।
2 श्री लालचंद वर्मा अभिभाषक रेस्पो0 1 ता 3 ।
3 श्री सोहन लाल सहारण राजकीय अभिभाषक।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

—:निर्णय:—

दिनांक: —05.09..2018

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रश्नगत भूमि चक 15 एलएलडब्ल्यु बी व 16 एलएलडब्ल्यु ए में रेस्पो0 सं0 1 के नाम 38 बीघा भूमि थी जो रेस्पो0 सं0. 1 को विरस्तन मिली हुई पैतृक भूमि है जिसमें अपीलांट का 1/4 हिस्सा जन्म से हक व अधिकार है। प्रश्नगत भूमि के संबंध में अपीलांट ने दावा पेश कर धारा 212 के प्रार्थना पत्र में रेस्पो0 सं0 1 के विरूद्ध प्रकरण सं. 33/15 सहायक कलक्टर हनुमानगढ द्वारा दिनांक 02.3.15 को रेस्पो. सं0 1 की सुनवाई कर स्थगन आदेश जारी किया गया तथा अन्य दावा अपीलांट के भाई जगदीश के वारिसों द्वारा अनवानी अंकित आदि बनाम साहबराम आदि पेश हुआ तथा दावे के साथ 212 आरटीए का प्रा0पत्र सहायक कलक्टर हनुमानगढ द्वारा दिनांक 16.3.15 को प्रकरण सं. 45/15 में रेस्पो0 सं0 1 के विरूद्ध स्थगन आदेश किया गया। प्रश्नगत भूमि 38 बीघा में से रेस्पो0 सं. 1 का 1/4 हिस्सा यानि 9.10 बीघा का हक था जिसमें से रेस्पो0सं0 1 ने बिना किसी जायज जरूरत के 5 बीघा भूमि पूर्व में बेचान कर दी थी अब रेस्पो0 सं0 1 का 4.10 बीघा का हक शेषथा कजिबकि रेस्पो0 सं0 1 ने 8.05 का दानपत्र रेस्पो0 सं0 2 व 3 के पक्ष में करवाये गये हैं तथा उन तथाकथित दान पत्रों के आधार दौराने स्थगन अपीलाधीन इन्तकाल तस्दीक किया गया है जो काबिल खारिजी के है। प्रश्नगत भूमि दादालाई होने के कारण अपीलांट का हक व हिस्सा जन्म से होने तथा अपीलांट का दावा व स्थगत प्रा0पत्र सहायक कलक्टर हनुमानगढ के न्यायालय में विचाराधीन होने से

अपीलांट प्रभावित व पीड़ित पक्षकार की श्रेणी में आने से बतौर तृतीय पक्षकार अपील पेश कर रहा है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन इन्तकाल 379 निरस्त फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 की तलबी व रिकार्ड की तलबी की गयी। रेस्पो. 1 ता 3 जरिये अभिभाषक न्यायालय में उपस्थित आए व अपीलाधीन रिकार्ड तलब कर सलंग्न पत्रावली किया गया।

बहस सुनी गयी। अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमो में अंकित कथनों को दोहराते हुए तर्क किया कि प्रश्नगत आराजी के संबंध में न्यायालय सहायक कलक्टर हनुमानगढ में घोषणात्मक दो दावे विचाराधीन हैं व इन दावों के साथ प्रा0पत्र 212 आरटीए में स्थगन आदेश जारी होने के उपरान्त भी रेस्पो0 1 द्वारा रेस्पो0 2 व 3 के पक्ष में दान पत्र कर दिये जाने पर अपीलाधीन इन्तकाल दर्ज किया गया है जो विधि अनुसार नहीं है। अपनी बहस में न्यायिक दृष्टांत आरआरडी जून 2006 पेज 350 की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन किया गया कि स्थगन आदेश जारी होने के बाद व दावा विचाराधीन रहते हुए इन्तकाल की कार्यवाही को स्थगित रखा जाना चाहिए था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस सिद्धान्त की अवहेलना करते हुए अपीलाधीन इन्तकाल दर्ज किया गया है जो विधिवत नहीं होने से खारिज फरमाया जावे।

अभिभाषक रेस्पो0 1 ता 3 ने अपनी बहस में तर्क किया कि रेस्पो. 1 का एक पुत्र जगदीश लापता है। उसकी दो पुत्रियां नाबालिग हैं। नोशनल शेयर के अनुसार दो पौत्रियों को 1/2 दान पत्र से अपनी 1/4 हिस्सा में से किया गया है। स्थगन आदेश से साहब राम को उसके 1/4 हिस्सा तक ही पाबन्द किया गया है साहब राम ने अपना हिस्सा ही दान किया है। दान पत्र के निरस्तीकरण हेतु सिविल कोर्ट में दावा चल रहा है। दान पत्र के जरिये दर्ज इन्तकाल को चुनौती नहीं दी जा सकती। अपनी बहस में यह भी तर्क किया कि सहायक कलक्टर से जारी स्थगन आदेश को तहसील में पेश नहीं कर अपनी जेब में ही रख लिया । अपीलाधीन इन्तकाल पंजीबद्ध दस्तावेज से दर्ज किया गया है जब तक पंजीबद्ध दस्तावेज को सिविल कोर्ट से निरस्त नही करवा लेते तब तक अपीलाधीन इन्तकाल को चुनौती नहीं दी जा सकती । अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमायी जावे। बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 2010 पेज 556,आरआरडी 2011 पेज 749, आरआरटी 2003(2)पेज 1046 व आरआरडी 2005। पेज 719 प्रस्तुत किये गये।

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में तर्क किया कि अपीलाधीन विधिवत दर्ज किया गया है, इसलिए अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का सम्मानपूर्वक अध्ययन किया गया। अपीलांट का मुख्य तर्क है कि विवादित आराजी के संबंध में घोषणात्मक दावा सहायक कलक्टर हनुमानगढ के न्यायालय में विचाराधीन है। दावा में स्थगन होने के उपरान्त भी दानपत्र के आधार पर अपीलाधीन इन्तकाल दर्ज किया गया है। अभिभाषक रेस्पो0 का कथन है कि अपीलाधीन इन्तकाल पंजीबद्ध दानपत्र के आधार पर दर्ज किया गया है। घोषणात्मक वाद के निर्णय में अपीलांट व रेस्पों0 के अधिकारों की घोषणा होनी है। साथ ही यह भी कथन किया है कि रेस्पो 1 ने कुल आराजी में से अपने 1/4 हिस्सा की सीमा तक ही दानपत्र किया गया इन्तकाल की कार्यवाही सरसरी कार्यवाही है। घोषणात्मक वाद में पक्षकारों के अधिकारों

की घोषणा उपरान्त पारित निर्णय के अनुसार कार्यवाही होनी है। साथ ही पंजीबद्ध दानपत्र को जब तक सक्षम सिविल न्यायालय से निर्णित नहीं कराया जाता है तब तक पंजीबद्ध दस्तावेज के आधार पर दर्ज इन्तकाल को निरस्त किया जाना उचित नहीं है। चूंकि प्रश्नगत आराजी के संबंध में दो वाद सहायक कलक्टर हनुमानगढ के न्यायालय में विचाराधीन है। इसलिए इन वादों में ही अपीलांट व रेस्पों0 के अधिकारों की घोषणा होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। अतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य न होने से खारिज की जाती है। प्रश्नगत आराजी के संबंध में वाद बाहुल्यता न बढ़े इसके लिए उभय पक्षों को पाबन्द किया जाता है कि वे न्यायालय सहायक कलक्टर हनुमानगढ में विचाराधीन वाद रणजीत बनाम साहबराम व अंकित आदि बनाम साहबराम आदि के निर्णय तक मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापिस लौटाया जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.09.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रभाती लाल जाट)

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official